मुन्तकिली प्रकरण संख्या 05/2021 (2021/9) अनवान 1. औंकारी देवी पत्नी स्व. श्री सन्तराम 2. रमेश चन्द पुत्र स्व. श्री सन्तराम 3. रवि शंकर पुत्र स्व. श्री सन्तराम जाति कुम्हार निवासी 4 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. रामजीलाल** पुत्र श्री बद्रीप्रसाद **2. सुनील कुमार पुत्र** श्री रामजीलाल **3. अनिल कुमार** पुत्र श्री रामजीलाल **(वादीगण अप्रार्थीयान)** जाति कुम्हार निवासी चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर **4. जयचंद** पुत्र बद्रीप्रसाद **5. यशपाल** पुत्र जयचंद **6. लक्ष्मी देवी** पुत्री जयचंद **7. अनिता देवी** पुत्री जयचंद **8. [illegible] देवी** पुत्री जयचंद जाति कुम्हार निवासी चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर **9. स्टेट जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (प्रतिवादीगण अप्रार्थीयान) 10. [illegible]** पुत्री स्व. श्री संतराम जाति कुम्हार निवासी 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर **(तरतीबी प्रतिवादी अप्रार्थी)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.02.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण औंकारी देवी, रमेश चन्द और रवि शंकर के अभिभाषक श्री जगमोहन आहुजा उपस्थित नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 रामजीलाल 2. सुनील कुमार एवं 3. अनिल कुमार के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हैं अप्रार्थी संख्या 4 से 8 के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोड़ा भी उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 4 से 8 को बार बार आवाजे लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पया कि प्रार्थीगण औंकारी देवी, रमेश चंद एवं रवि शंकर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 19/2016 अनवानी रामजीलाल आदि बनाम संतलाल वगै. अन्तर्गत 53 आरटी एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था और यह प्रार्थना की थी कि मुकदमा अनवानी रा[illegible] आदि बनाम संतराम वगै. वादं संख्या 19/16 आगामी पेशी 25.01.2021 [illegible] के उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर में विचाराधीन है की पत्रावली तलब कर वास्ते कार्यवाही [illegible]य अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थीगण औंकारी देवी, रमेश चन्द एवं रवि शंकर और उनके अभिभाषक श्री जगमोहन आहुजा बार–बार आवाजे लगाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण को जारी रखने में अब कोई दिलचस्पी प्रतीत नहीं होती है। **अतः यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:16 IST
Reason: SelfAttested